

छाटटी की अपील का पर्याप्त
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

एम. आर.-१
S.R.-१

(अनुप्रयुक्त नियम 216 दर्शाएँ)/(See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी :—मह. सं. 1 से 11 प्रत्येक ग्राही के भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित।

Note :—Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

1. ग्राही का नाम/ Name of applicant
2. लार्. होने वाली छाटटी नियमावली
Leave rules applicable.
3. पद/ Post held.
4. विभाग, कार्यालय और बन्धभाग
Department, Office and Section
5. वेतन/ Pay
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला भकान किराया
भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ता।
House rent allowance, conveyance allowance
or other compensatory allowances drawn in
the present post.
7. मांगी गयी छाटटी की किस्म, वर्षाधि और उसके शुरू होने की तारीख/ Nature and period of leave
applied for and date from which required.
8. रविवार और छाटटी के दिन, यदि कोई हो,
जिन्हें छाटटी से पहले/बाद में जोड़ा जाहते हुए।
Sundays and holidays, if any, proposed to be
prefixed/suffixed to leave.
9. छाटटी का कारण।
Ground on which leave is applied for.
10. पिछली छाटटी से लौटने का तारीख और उस
छाटटी की किस्म तथा अवधि।
Date of return from last leave; and the nature
and period of that leave.
11. मेरा विचार आगामी छाटटी में..... के सम्भवों के लिए छाटटी यात्रा
की कैफियत लेने का है/नहीं है।
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession
in the block years during the ensuing leave.
12. (क) मैं बचन देता हूँ कि जौसत वेतन छाटटी/परिवर्तित छाटटी की अवधि
में लिए गए छाटटी वेतन और आधे जौसत वेतन/आधे वेतन की छाटटी से
मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूँगा जो छाटटी
को समाप्ति पर अधिका उसके दौरान मेरे सेवा नियम होने की स्थिति
में भूल नियम 81 (ब) (ii)/संशोधित छाटटी नियमावली 1933 के
नियम 11 (ग) (iii) के लागे न होने पर बनाए रखा है।
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn
during leave on average pay/commuted leave and that admissible during
leave on half average pay/half pay leave, which would not have been
admissible had the proviso to F. R. 81, (b)(ii), rule 11(e) (iii) of the
Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of my retirement
from service at the end or during the currency of the leave.

12. (a) मेरे दरता हूँ कि मेरे सेवा से सेवा निवृत्त होने या देवा से त्याग-यज्ञ देने तक यदि मेरे कर्म वाले दरता की उठाई छट्टी अधिकारी के कर दरकार वित्ती अधिकारी छट्टी मेंने बी है तो अधिकारी के दरपान—यो भूमि नियम 81 (ग) / संशोधित छट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ब) के तात्पुर न किए जाने पर मुझे न मिल पाऊँ, यिले छट्टी के दरता को बापस कर दूँगा।

(b) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

प्राप्ती के हस्ताक्षर
Signature of applicant.....

13. विधानसभा अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश
Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.

हस्ताक्षर/Signature.....
पदनाम/Designation.....

छट्टी की अनुमत्यदा के बारे में प्रमाण-यज्ञ
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में गवाहकार द्वायाप) (By Accountant General in the case of gazetted officers)

14. प्रमाणित किया जाता है कि से तक दिन के तिए नियमावली के नियम के वधीन (छट्टी की किसी) अनुमति है।
Certified that (Nature of Leave)
for from to
(Period)

is admissible under rule of the Rules.

हस्ताक्षर/Signature.....
पदनाम/Designation.....

15 *सौम्यांतर देने वाले अधिकारी के बाबत :—
*Orders of the sanctioning authority :—

हस्ताक्षर/Signature.....
पदनाम/Designation.....

*यदि प्राप्ती को कोई प्रतिकर भरा जिलता हो तो यह अधिकारी को यह जिलना चाहिए कि छट्टी पूरी होने पर प्राप्ती की उसी पद पर या किसी दूसरे पद पर लौटने की अस्ता है या वहीं बहुत इसी प्रकार का भरा जिलता हो।

*If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.

प्रभास्मृदेक-46 नियम/97-98-(सी-40)-25-2-98-25,00,000.

MGIPTC-46 Civil/97-98-(C-40)-25-2-98-25,00,000.